

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**  
**Insurance Regulatory and Development Authority of India**

**प्रेस नोट / Press Note**  
**12.05.2022**

**पालिसीधारकों के लिए गृह बीमा, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों हेतु प्रयोजन-विशिष्ट उत्पाद प्राप्त करने के लिए अधिक विकल्प**

**More choice for policyholders for Home Insurance, Micro and Small Businesses to get tailor-made products**

बीमा व्यापन में वृद्धि करने और पालिसाधारकों के लिए अधिक व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए अपने निरंतर प्रयास में आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को अग्नि और संबद्ध जोखिमों हेतु निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए नये और आवश्यकतानुरूप उत्पाद अभिकल्पित करने के लिए अनुमति दी है। इस कार्रवाई से बीमा कंपनियाँ उपयुक्तता और वहनीयता के तौर पर पालिसीधारकों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नवोन्मेष ऐड-आन प्रस्तावित करने अथवा वर्तमान प्रावधानों में विविधता लाने के द्वारा मानक उत्पादों में पहले से दिये गये कवरेज को व्यापक बना सकती हैं। यह अप्रैल 2021 में इस खंड में मानक उत्पाद अर्थात् भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा प्रारंभ करने के बाद उपलब्ध है। इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा एक परिपत्र दिनांक 12 मई 2022 को जारी किया गया है।

In its continuous endeavour to increase insurance penetration and provide wider choice to Policyholders, IRDAI has allowed insurance companies to design new and customised products for dwellings, micro and small enterprises for Fire and Allied Perils. This move will enable insurance companies to broaden the coverage already provided in the standard products by offering innovative add-ons or varying the existing provisions to meet the needs of the policyholders in terms of suitability and affordability. This comes after the introduction of standard products in this segment, namely Bharat Griha Raksha, Bharat Sookshma Udyam Suraksha and Bharat Laghu Udyam Suraksha in April 2021. A circular dated 12<sup>th</sup> May, 2022 has been issued by IRDAI in this regard.

**उद्योग बर्निंग लागत - केवल एक संदर्भ है, न्यूनतम अधिदेशित दर नहीं**

**Industry Burning Cost – only a reference, not minimum mandated rate**

आईआरडीएआई ने स्पष्ट किया है कि वह बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम निर्धारण के लिए किसी न्यूनतम दर का अधिदेश नहीं देता। आईआरडीएआई की जानकारी में यह आया है कि पालिसीधारकों को यह विश्वास करने के प्रति प्रवृत्त किया जा रहा है कि भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) द्वारा जारी की गई बर्निंग लागत 'न्यूनतम अधिदेशित दर' है। उद्योग बर्निंग लागत केवल समूचे उद्योग में अग्नि जोखिमों में दावा अनुभव को समझने के लिए केवल एक संदर्भ बिन्दु है। इसे आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अधिदेशित दर के रूप में नहीं समझना चाहिए। यही स्पष्ट करते हुए बीमा कंपनियों के लिए एक परिपत्र आईआईबी द्वारा उद्योग बर्निंग लागत को प्रकाशित करने के प्रयोजन को दोहराते हुए 12 मई 2022 को जारी किया गया है। बीमा कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करने

के लिए सूचित किया गया है कि इस संबंध में पालिसीधारकों और हितधारकों के लिए कोई गलत सूचना न दी जाए।

IRDAI has clarified that it does not mandate any minimum rate for premium setting by insurance and reinsurance companies. It has come to the notice of IRDAI that policyholders are being led to believe that the Burning Cost released by Insurance Information Bureau of India (IIB) is 'minimum mandated rate'. Industry Burning Cost is only a reference point to understand claims experience in fire perils across the industry. It is not to be construed as a minimum mandated rate laid down by IRDAI. A circular clarifying the same has been issued on 12<sup>th</sup> May, 2022 reiterating to the insurance companies the purpose of publishing the Industry Burning Cost by IIB. The insurance companies have also been advised to ensure that there is no mis-information to policyholders and other stakeholders regarding the same.